[2022] 14 एस. सी. आर. 911

ए.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

राष्ट्रीय समूह सदस्यों का संगठन और संगठन बदलें

(2007 की सिविल अपील संख्या 435) 13 अक्टूबर, 2022

[अजय रस्तोगी और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -एस. 12 (1)-चाहे एस के संदर्भ में हो।12(1), एस. ई. बी. आई. के साथ एकल पंजीकरण पर्याप्त है, भले ही स्टॉक ब्रोकर के पास कई स्टॉक एक्सचेंजों से विभिन्न सदस्यताएँ और कार्य हों और इसलिए, एस. ई. बी. आई. के साथ प्रारंभिक पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा-आयोजितःएस में संदर्भित "ए सर्टिफिकेट" अभिव्यक्ति का संयुक्त पठन।12(1) नियम, 1992 और विनियम, 1992 की योजना के साथ पढ़ा गया अधिनियम, 1992 एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि स्टॉक ब्रोकर को न केवल प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए जहां वह काम करता है, उसके लिए SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है, साथ ही साथ, 28 मार्च, 2002 के SEBI परिपत्र के तहत निर्धारित गणना के संदर्भ में SEBI से पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र के संदर्भ में विनियम, 1992 के भाग III के संदर्भ में निर्धारित मूल्य निर्धारण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और शुल्क का भुगतान स्टॉक ब्रोकर द्वारा एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में किया जाना है जो विनियम 1992-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) नियम, 1992-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक स्टॉक) नियम, 1992 की योजना के अनुरूप है।

विधानों की व्याख्या-विधायिका का सच्चा इरादा-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-आयोजितःएक क़ानून का अर्थ उस इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए जो इसे बनाता है-यदि एक वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है, तो न्यायालय के लिए यह हमेशा वांछनीय है कि वह उस व्याख्या का चयन करे जो विधायिका के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है-वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय को हमेशा उस उद्देश्य या उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए क़ानून लागू किया गया है।

जी.

एच.

911 ए.

912 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 14 एस. सी. आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** एक क़ानून का अर्थ उस इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए जो इसे बनाता है और यह हमेशा न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधायिका के सच्चे इरादे पर कार्य करे। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है, तो न्यायालय के लिए यह हमेशा वांछनीय है कि वह व्याख्या का चयन करे जो विधायिका के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है।इसके अलावा, कानून के इरादे पर पहुंचने के लिए, यह हमेशा उन उद्देश्यों पर निर्भर करता है जिनके लिए अधिनियम बनाया जाता है, न्यायालय पाठ्य व्याख्या को अलग रखते हुए ऐतिहासिक, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा ले सकता है।इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय को हमेशा उस उद्देश्य या उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए क़ानून लागू किया गया है।**[**पैरा **43] [933-**एफ**-**एच**]**

2.1.भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम**, 1992** की धारा **12 (1)** में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(**स्टॉक ब्रोकर और उप**-**ब्रोकर**)** नियम**, 1992** और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(**स्टॉक ब्रोकर और उप**-**ब्रोकर**)** विनियम**, 1992** की योजना के साथ पठित "एक प्रमाण पत्र" अभिव्यक्ति के संयुक्त पठन से एक अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि स्टॉक ब्रोकर को न केवल प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए **SEBI** से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है, जहां वह काम करता है, उसी समय, **SEBI** परिपत्र**, 1992** के तहत निर्धारित गणना के संदर्भ में **SEBI** से पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र के संदर्भ में निर्धारित भाग **III** के संदर्भ में विज्ञापन मूल्य शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।**[**पैरा **47] [935-**डी**-**एफ**]**

2.2.जहाँ तक अनुसूची **III (I) (1) (c)** में निर्दिष्ट 'प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख' अभिव्यक्ति पर जोर देने का संबंध है, यह पंजीकरण के प्रमाण पत्र के संबंध में है जो स्टॉक

ब्रोकर द्वारा **SEBI** से प्राप्त किया गया है**,** जो बदले में उस स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में है जिसका वह सदस्य है।प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद**,** स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में**,** उसके पंजीकरण को लागू रखने के लिए छठे वित्तीय वर्ष के उद्देश्य के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है।**[**पैरा **48] [935-**एफ**-**जी**]** ए

जी.

एच.

913

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ ए

आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल. वी. ए.

दीक्षितुलु और अन्य (1979) 2 एस. सी. सी. 34:[1979] 1 एस. सी. आर. 26-अनुसरण किया गया।

बीएसई ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य (2001) 3 एससीसी 482 और केपी वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम

और दूसरा (1981) 4 एस. सी. सी. 173:[1982] 1 एस. सी. आर. 629-संदर्भित।

“बराक द्वारा "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" और फ्रांसिस बेनिओन द्वारा "सांविधिक व्याख्या"**-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

(2001) 3 एससीसी **482**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[1982] 1 एससीआर **629**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

[1979] 1 एससीआर **26**

पीछा किया।

पैरा **46**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 435

2007.

2005 के एल. पी. ए. सं. 327 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 2007 की 5076 और 2011 की 3003

सी. यू. सिंह, अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित पाई, सुश्री क्रुशा माहेश्वरी, रमेश बाबू एम. आर., सुनील मुरारका, भार्गव वी. देसाई, सुश्री चारू मोदी, उत्कर्ष वत्स, अमजिद मकबूल, जुबिन एम. जॉन, निनाद लॉड, अविनाश मैथ्यूज, सुश्री अदिति पाठक, गजेंद्र सिंह नेगी, साहिल टागोत्रा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी**,** जे।

जी.

2007 की सिविल अपील सं**. 435**

1. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 7 नवंबर, 2005 के फैसले और आदेश के खिलाफ तत्काल अपील का निर्देश दिया गया है, जिसमें 26 अक्टूबर, 2004 के फैसले के तहत उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया गया है।खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि धारा 12 (1) के संदर्भ में

एच.

914

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 14 एस सी आर।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद "अधिनियम 1992" के रूप में संदर्भित) के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ एकल पंजीकरण (इसके बाद "एस. ई. बी. आई". के रूप में संदर्भित) पर्याप्त है, भले ही स्टॉक ब्रोकर की कई

स्टॉक एक्सचेंजों से विभिन्न सदस्यताएं और कार्य हों और इसलिए, उसे एस. ई. बी. आई. के साथ प्रारंभिक पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा और तदनुसार, एस. ई. बी. आई. द्वारा 28 मार्च, 2002 को जारी परिपत्र के भाग ए के पैराग्राफ (vi) को अलग करना होगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत एस. ई. बी. आई. की साबित गई है।एस. ई. बी. आई. को प्रतिभूतियों के बाजार को विनियमित करने के लिए एक नियामक के रूप में बनाया गया था जिसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों, डिबेंचरों, व्युत्पन्नों आदि में लेनदेन शामिल है।यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि एस. ई. बी. आई. के गठन से पहले, प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज ने सदस्यों को स्वीकार किया था और दलाल/उप-दलाल ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के उपनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में सौदा कर सकते थे।अधिनियम, 1992 से पहले जो कानून शासित था, वह प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 था जिसे प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के साथ पढ़ा गया था।अधिनियम और नियम स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता और स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान करते हैं।

3. एस. ई. बी. आई. के गठन के बाद, केंद्र सरकार ने अधिनियम, 1992 की धारा 29 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) नियम, 1992 बनाए और धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम, 1992 बनाए (जिसे इसके बाद "विनियम 1992" के रूप में संदर्भित किया गया है)।4. जब एस. ई. बी. आई. ने अनुसूची 3 के साथ पठित विनियमन 10 के संदर्भ में शेयर दलालों पर शुल्क लगाया, तो इसे इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई।

बी. एस. ई. ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य 1.इस न्यायालय ने वैधता को बरकरार रखा

विनियम, 1992 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 10 का और यह अभिनिर्धारित किया गया कि एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रभारित शुल्क कर नहीं है, बल्कि एक शुल्क है और यह विनियामक प्रकृति का है और क्विड प्रो क्वो का तत्व सख्ती से आवश्यक नहीं है।इस

न्यायालय ने आगे के निर्देश पारित किए जिसमें एस. ई. बी. आई. को संशोधन करने की आवश्यकता थी।

जी.

एच.

1 (2001) 3 एससीसी 482 ए

915

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

आर. एस. भट्ट समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए विनियम।

5. कि पूर्व में बताए गए निर्णय में इस न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, एस. ई. बी. आई. ने 28 मार्च, 2002 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर जिसके पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र है, उसे पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए अनुसूची III में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।28 मार्च, 2002 के परिपत्र का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

“एस. एम. डी./नीति/सिर-07/2002

28 मार्च, 2002

कार्यकारी निदेशक/प्रबंध निदेशक सभी स्टॉक एक्सचेंज

प्रिय महोदय/महोदया,

सबःस्टॉक ब्रोकरों द्वारा देय शुल्क

एस. ई. बी. आई. ने 1992 में एस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियमों को अधिसूचित किया है।एस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम 1992 की अनुसूची III, जो शुल्क के भुगतान के बारे में विस्तार से बताती है, को स्टॉक एक्सचेंजों के दलालों द्वारा उनकी व्यक्तिगत और प्रतिनिधि क्षमता में चुनौती दी गई थी।माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर 1 फरवरी, 2001 को एक निर्णय देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. को आर. एस. भट्ट समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को शामिल करते हुए विनियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया।

आर. एस. भट्ट समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, एस. ई. बी. आई. ने 20 फरवरी, 2002 को नियमों में संशोधन किया है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि दलालों द्वारा एस. ई. बी. आई. को देय शुल्क की घटना को आर. एस. भट्ट समिति द्वारा कम कर दिया गया है।आर. एस. भट्ट समिति ने किए गए लेनदेन की प्रकृति के आधार पर शुल्क के भुगतान की अलग-अलग दरों का सुझाव दिया है। एस. ई. बी. आई. ने आर. एस. भट्ट समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कई दलालों ने अतीत में आर. एस. भट्ट समिति की सिफारिशों के साथ पढ़ी गई अनुसूची III के अनुसार शुल्क का भुगतान किया है और इस तरह के शुल्क को एस. ई. बी. आई. द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

जी.

एच.

माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, एस. ई. बी. आई. को दलालों से उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ-साथ उनकी प्रतिनिधि क्षमता में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।इन मुद्दों की जांच एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई है। इस परिपत्र के भाग ए में दलालों द्वारा मांगे गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण शामिल हैं।

XXX XXX XXX

भाग ए

दलालों द्वारा एस. ई. बी. आई. को भुगतान किए जाने वाले शुल्कों पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर स्पष्टीकरण।

XXX XXX XXX

vi.समग्र निगमित सदस्यों द्वारा देय शुल्कः

यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमों के अनुसार प्रत्येक दलाल जो एस. ई. बी. आई. से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, उसे एस. ई. बी. आई. को शुल्क का भुगतान करना होता है। यह स्टॉक एक्सचेंज में दलाल द्वारा रखे गए कार्डों की संख्या की परवाह किए बिना है।यदि दलाल के पास किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर एस. ई. बी. आई. से एक से अधिक पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं तो उसे अपने पास मौजूद प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए विनियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।यदि दलाल के पास किसी भी एक्सचेंज पर केवल एक पंजीकरण प्रमाण पत्र और एक से अधिक कार्ड हैं तो यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण शुल्क पंजीकरण प्रमाण पत्र पर देय है न कि दलाल द्वारा रखे गए कार्डों की संख्या पर।दलालों का कारोबार सभी कार्डों का कुल कारोबार होगा।"

(जोर दिया गया) 6.प्रत्यर्थी नं.1 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों का एक संघ है और जैसा कि आरोप लगाया गया है, इसके सदस्य भारत में शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का सौदा करते हैं और प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर को अधिनियम, 1992 के तहत पंजीकृत किया गया है और विनियमों, 1992 के अनुसार पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं।

जी.

7. व्यापारिक सदस्यों के संघ ने 28 मार्च, 2002 के परिपत्र को इस हद तक चुनौती दी कि भाग ए के पैराग्राफ (vi) में एक समग्र निगमित सदस्य द्वारा देय शुल्क का प्रावधान है और यह आवश्यक है कि स्टॉक ब्रोकर, जिसके पास एस. ई. बी. आई. में एक से अधिक पंजीकरण हैं, ए.

एच.

917

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]
ए.

प्रत्येक पंजीकरण के लिए संरचित शुल्क का भुगतान करना होगा।एसोसिएशन द्वारा यह तर्क दिया गया था कि भले ही किसी स्टॉक ब्रोकर का SEBI से एक से अधिक पंजीकरण हो, उसे केवल SEBI के साथ प्रारंभिक पंजीकरण के संबंध में शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी, चाहे स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर के पास कार्ड की संख्या कुछ भी हो और तदनुसार यह प्रार्थना की गई थी कि SEBI द्वारा 28 मार्च, 2002 के अपने परिपत्र के तहत किया गया

स्पष्टीकरण, जिसका एक संदर्भ दिया गया है, अधिनियम, 1992 की योजना का उल्लंघन है और इसे अलग किया जाना चाहिए।

8. विनियमों की योजना और 28 मार्च, 2002 के परिपत्र और विनियमन की जांच करने के बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश। 6 रेग के साथ पढ़ें। 9 विशेष रूप से प्रपत्र 'ए' के साथ, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विनियमों की योजना के तहत कई पंजीकरणों की परिकल्पना की गई है, और 28 मार्च, 2002 के विवादित परिपत्र को बरकरार रखते हुए कहा कि यह केवल गणना के तरीके और तरीके को निर्धारित करता है और 26 अक्टूबर, 2004 के फैसले द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। 9.प्रत्यर्थी द्वारा एक पत्र पेटेंट अपील को प्राथमिकता दिए जाने पर सं.1, उच्च न्यायालय की खंड पीठ का विचार था कि यह योजना केवल SEBI से पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र प्रकट करती है, भले ही कोई स्टॉक ब्रोकर देश के कई स्टॉक एक्सचेंजों से काम करता हो और मुख्य रूप से अधिनियम, 1992 की धारा 12 (1) में संदर्भित 'एक प्रमाण पत्र' अभिव्यक्ति से प्रभावित था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष को दरकिनार करते हुए, 7 नवंबर, 2005 के एक फैसले द्वारा अपील की अनुमति दी और कहा कि SEBI का एकल पंजीकरण आवश्यक है, भले ही एक स्टॉक ब्रोकर की कई स्टॉक एक्सचेंजों से सदस्यता और कार्य हों और उसे SEBI के साथ पहले प्रारंभिक पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, भले ही वह कई अन्य स्टॉक एक्सचेंजों में काम करता हो, आगे के निर्देश के साथ कि यदि किसी स्टॉक ब्रोकर ने अपने पहले प्रारंभिक पंजीकरण के बाद किसी भी बाद के पंजीकरण के लिए SEBI को शुल्क का भुगतान किया हो।यह हमारे सामने अपील में चुनौती का विषय बन गया।

जी.

10. यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलग से एस. ई. बी. आई. के साथ पंजीकरण की आवश्यकता की प्रक्रिया वर्ष 2014 तक जारी रही और विनियमों में संशोधन करके, एस. ई. बी. आई. को अब एक पंजीकरण संख्या वाले स्टॉक ब्रोकर के लिए एकल पंजीकरण की आवश्यकता है।दलाल को अपने क्षेत्र में व्यापार करने की मंजूरी के लिए व्यक्तिगत स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन करना पड़ता है।

एच.

विनिमय करें।इसलिए, 2014 के बाद से, इस योजना के लिए व्यक्तिगत स्टॉक एक्सचेंजों से कई अनुमोदनों के लिए एक पंजीकरण की आवश्यकता होती है।11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह प्रत्यर्थीगण द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है जो शुल्क लगाने के लिए प्रावधान करने वाले विनियमों की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 10 की वैधता को चुनौती देने में विफल रहा है, जिसे बीएसई में बरकरार रखा गया था।

ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे एंड अदर्स (ऊपर) और दिनांकित परिपत्र

28 मार्च, 2002 और कुछ नहीं बल्कि एक स्पष्टीकरण है और उसके संदर्भ में, शुल्क का भुगतान स्टॉक ब्रोकर द्वारा किया जाना है जो विनियम 1992 की योजना के अनुरूप है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अधिरोपण को एक शुल्क माना जाता है न कि एक कर और एक लेवी होने के नाते जो प्रकृति में नियामक भी है, अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए एस. ई. बी. आई. की विभिन्न गतिविधियों को देखते हुए, क्विड प्रो क्वो को शुल्क का गठन करने के लिए लेवी के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं माना गया था।

13. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिभूति अनुबंधों की योजना स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि आवेदन SEBI के साथ पंजीकरण के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाना है और प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत है और इस बात पर जोर दिया गया कि यह योजना दर्शाती है कि SEBI विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों का समर्थन करता है और इसलिए शुल्क को नियामक तंत्र के अपने हिस्से के रूप में अलग होना चाहिए।

14. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि कई पंजीकरणों की परिकल्पना की गई है और विनियमों की योजना को केवल पढ़ने से संकेत मिलता है कि जहां भी एकवचन वाक्यांश है, वही एक विशेष स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में पंजीकरण के संदर्भ में है और यह विवादित नहीं है कि स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में सदस्यता की विभिन्न श्रेणियों में खुद को नामांकित कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, एक इक्विटी खंड, ऋण, व्युत्पन्न वस्तु खंड आदि, और इस प्रकार दलाल आवश्यक गतिविधियों की विभिन्न प्रकृति और विशेषज्ञता के बारे में सचेत हैं जो उन्हें

प्रतिभूतियों की एक प्रकृति में व्यापार करने के लिए पंजीकरण के लिए हकदार बना सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की दूसरी प्रकृति के संबंध में ऐसा नहीं हो सकता है।

जी.

15. उस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत निर्दिष्ट "एक प्रमाण पत्र" अभिव्यक्ति पर जो जोर दिया गया है, वह इस कारण से गलत प्रतीत होता है कि

एच.

919

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]
ए.

एक ही शब्द का उपयोग एकवचन या बहुवचन अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है और उच्च न्यायालय ने विनियम, 1992 की योजना और उसमें संलग्न फॉर्म 'ए' की पूरी तरह से अनदेखी की है और यदि इसके तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और विनियमों की योजना की समग्र तरीके से जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि स्टॉक ब्रोकर को प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है जहां वह काम करता है और तदनुसार शुल्क का भुगतान 28 मार्च, 2002 के परिपत्र के अनुसार किया जाना है, जो केवल एक स्पष्टीकरण था, जिसके अनुसार समग्र कॉर्पोरेट ब्रोकर द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया था।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एसोसिएशन की शिकायत केवल अनुसूची III के तहत देय शुल्क और प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पांच साल की अवधि की गणना के संबंध में थी, लेकिन विनियम, 1992 की योजना यह स्पष्ट करती है कि स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एक आवेदन किया जाना है जहां वह सदस्य बनना चाहता है और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन को SEBI को भेजता है, जो विनियमन के तहत आवेदन पर विचार करेगा। 5 और विनियमन के तहत पंजीकरण प्रदान करें। 6 आवश्यक आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद और व्यक्तिगत स्टॉक एक्सचेंजों को पंजीकरण की सूचना भेजी जानी है, जिसने दलाल/उप-दलाल को किसी विशेष एक्सचेंज के लिए पंजीकरण के अपने मामले पर पुनर्विचार के लिए SEBI को आवेदन करने में सक्षम बनाया, यदि इनकार कर दिया जाता है।

17. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक स्टॉक ब्रोकर जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य रहा है, उसे ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में खुद को अलग से SEBI के साथ पंजीकृत करना होगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंजों पर लागू हो सकता है और प्रत्यर्थीगणओं द्वारा गलत तरीके से दावा किया गया है कि पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र आवश्यक है जो कई स्टॉक एक्सचेंजों पर लागू होता है।

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगणओं के लिए विद्वान अधिवक्ता , दूसरी ओर, विवादित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की योजना और उसके तहत बनाए गए विनियम कहीं भी यह सुझाव नहीं देते हैं कि प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में अलग पंजीकरण की आवश्यकता है और विनियमों और नियमों, 1992 की योजना के कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत करते हैं कि अनुसूची III में कई पंजीकरणों के सुझाव की केवल एक झलक पाई जा सकती है, जिसमें अनुच्छेद 1 (1) (सी), "प्रारंभिक पंजीकरण" शब्द का उपयोग किया गया है।

पाँच वर्षों की गणना के लिए प्रारंभिक बिंदु इंगित करें जिसके लिए विज्ञापन मूल्य शुल्क का भुगतान किया जाना है।

19. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची विनियमों की योजना को ओवरराइड नहीं कर सकती है और आगे प्रस्तुत करती है कि स्टॉक ब्रोकरों द्वारा उनके प्रारंभिक पंजीकरण के बाद पर्याप्त सावधानी के कारण ही कई पंजीकरणों की तत्कालीन प्रचलित प्रथा की मांग की गई थी, क्योंकि फॉर्म 'डी' में जारी प्रमाण पत्र ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों के नाम दर्शाता है जिनके वे ऐसे प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख को सदस्य हैं।इसके अलावा, प्रमाण पत्र में और अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के नाम को संशोधित करने और सम्मिलित करने का कोई प्रावधान नहीं है और यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत होने के कारण, इस प्रथा का उपयोग व्याख्या की सहायता के लिए नहीं किया जा सकता है यदि यह क़ानून की सरल भाषा के विपरीत है और इसने के. पी. वर्गीज बनाम आय मामले में इस न्यायालय के फैसले की सहायता ली है।

कर अधिकारी**,** एर्नाकुलम और अन्य **2.**

20. प्रत्यर्थीगणओं के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि चाहे किसी स्टॉक ब्रोकर को प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक ही पंजीकरण या कई पंजीकरण करने की आवश्यकता हो, विज्ञापन मूल्य शुल्क का भुगतान फिर भी केवल एक बार होगा, यानी ऐसे कई पंजीकरणों में से पहले से पांच साल के लिए और आगे प्रस्तुत करता है कि योजना में कोई संकेत नहीं है, यानी अधिनियम, नियम और विनियम, कि एक स्टॉक ब्रोकर को प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में अलग से पंजीकरण करना चाहिए, जिसका वह सदस्य है और भले ही कई पंजीकरणों पर विचार किया गया हो, फिर भी पांच साल के लिए देय विज्ञापन मूल्य शुल्क को केवल प्रारंभिक पंजीकरण से गिना जा सकता है, यानी कि एस. ई. बी. आई. के साथ उक्त कई पंजीकरणों में से पहला और कम से कम इस आधार पर।

21. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और उनकी सहायता से अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

जी.

22. हमारे सामने पेश किए गए तर्कों से, निम्नलिखित दो प्रश्न हमारे विचार के लिए उठते हैं:-

2 (1981) 4 एससीसी 173 ए

एच.

921

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

(i) क्या अधिनियम 1992 के तहत, एक स्टॉक ब्रोकर को प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जहां वह काम करता है या क्या SEBI से पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र पर्याप्त है और यही उसे अन्य सभी स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा?

(1) क्या पाँच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए भुगतान किया जाने वाला विज्ञापन मूल्य शुल्क इस तरह के प्रत्येक पंजीकरण के साथ दोहराया जाएगा?

23. इससे पहले कि हम अपने विचार के लिए सामने आने वाले प्रश्नों की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, पहले अधिनियम की योजना और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के बारे में एक विहंगम दृष्टिकोण रखना उचित होगा जो इस न्यायालय को पक्षों द्वारा की गई दलीलों की सराहना करने में सुविधा प्रदान करेगा।24. बोर्ड की साबित अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत की गई है और इसके विभिन्न कार्य हैं।बोर्ड का प्राथमिक कर्तव्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करना है जो वह उचित समझता है।धारा 11 बोर्ड के विभिन्न कार्यों का प्रावधान करती है, जिसमें स्टॉक ब्रोकरों, उप-ब्रोकरों और ऐसे अन्य बिचौलियों के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना शामिल है जो प्रतिभूति बाजार के साथ जुड़ने का इरादा रखते हैं।अध्याय 5 की धारा 12 इस बात को पुष्ट करती है कि प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, उसे बोर्ड से उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।धारा 12 निम्नानुसार हैः-

"स्टॉक ब्रोकरों**,** उप**-**ब्रोकरों**,** शेयर हस्तांतरण एजेंटों आदि का पंजीकरण।

12. (1) कोई भी स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर, शेयर हस्तांतरण एजेंट, किसी निर्गम के लिए बैंकर, न्यास विलेख का न्यासी, किसी निर्गम के लिए पंजीयक, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और ऐसा अन्य मध्यस्थ जो प्रतिभूति बाजार से जुड़ा हो, अधिनियम के तहत बनाए गए (विनियमों) के अनुसार बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अलावा प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या सौदा नहीं करेगाः".....

जी.

[जोर दिया गया]25. प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होती है और यह योजना ऐसे स्टॉक पर विचार/मान्यता देती है।

एच.

दलाल जो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हैं।कोई भी स्टॉक ब्रोकर या उप-ब्रोकर तब तक प्रतिभूतियों का पालन और सौदा नहीं करेगा जब तक कि उसके पास बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण का प्रमाण पत्र न हो।केंद्र सरकार ने पात्रता की शर्तें निर्धारित की हैं जिन्हें स्टॉक ब्रोकर को नियम 1992 के नियम 4 के तहत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरा करना होता है।

26. अधिनियम 1992 की धारा 29 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) नियम, 1992 नामक नियम बनाए।

27. नियम, 1992 के नियम 2 (घ), 2 (ङ), 3 और 4 पर ध्यान देना उचित होगा जिन्हें निम्नानुसार निकाला गया हैः-

“2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः(ए)।

(बी)।

(सी)।

(घ) "स्टॉक एक्सचेंज" से ऐसा स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय के लिए मान्यता दी गई है;

(ङ) "शेयर दलाल" से स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य अभिप्रेत है; (च)

(जी)।

बिना पंजीकरण के स्टॉक ब्रोकर या उप-ब्रोकर के रूप में कार्य नहीं करना।

3. कोई भी स्टॉक ब्रोकर या उप-ब्रोकर प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री, सौदा नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास नियमों के तहत बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र न हो।

जी.

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियों में बिक्री या सौदा करना जारी रख सकता है यदि उसने ऐसे आवेदन के निपटारे तक ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

स्टॉक ब्रोकर को प्रमाण पत्र देने की शर्तें।

एच.

923

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]

ए.

ए.

4. बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक स्टॉक-ब्रोकर को प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है अर्थात्:-

(क**)** वह किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता रखता है**;**

(ख) वह उस स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करेगा जिसका वह सदस्य है।

(ग) स्थिति और संविधान में किसी भी बदलाव के मामले में, स्टॉक ब्रोकर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या सौदा जारी रखने के लिए बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

(घ) वह विनियमों में दिए गए तरीके से पंजीकरण के लिए शुल्क की राशि का भुगतान करेगा; और

(ङ) वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा और बोर्ड को ऐसे निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, प्रकृति और अन्य विवरणों के बारे में सूचित करेगा।"

28. नियमों की योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक स्टॉक ब्रोकर जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने के लिए अन्य शर्तों के अलावा स्टॉक एक्सर्चेंज या स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा।

29. बोर्ड ने अधिनियम की धारा 30 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने विनियम 1992 बनाए हैं, जिन्हें राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किया गया है।यह एक

प्रक्रिया/तंत्र प्रदान करता है जिसके अनुसार स्टॉक ब्रोकर (स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नियम 2 (ई) के संदर्भ में) को फॉर्म 'ए' में प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन करना होता है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भेजा जाना है, जिसका वह सदस्य है और शुल्क को विनियमन के संदर्भ में जमा किए जाने के बाद। 10 जैसा कि अनुसूची III में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विनियमन के तहत निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार विचार किया जाता है। 5 और पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करने के बाद, जैसा कि विनियमन के तहत संदर्भित है। 6, स्टॉक ब्रोकर बोर्ड के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने के लिए पात्र हो जाता है।विनियम, 1992 के प्रावधान के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

जी.

एच.

924

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 14 एस सी आर।

“अध्याय II

स्टॉक ब्रोकरों का पंजीकरण

स्टॉक ब्रोकर के पंजीकरण के लिए आवेदन।

3. (1) प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए स्टॉक ब्रोकर द्वारा आवेदन 'फॉर्म ए' में स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उसे सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(2) स्टॉक एक्सचेंज आवेदन पत्र को जल्द से जल्द बोर्ड को भेजेगा, लेकिन इसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के बाद नहीं।

(3) उप-विनियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इन विनियमों के लागू होने से पहले किसी स्टॉक ब्रोकर द्वारा किए गए किसी भी आवेदन में ऐसे विवरण होते हैं या जो 'फॉर्म ए' में उल्लिखित होते हैं, उन्हें उप-विनियम (1) के अनुसरण में किए गए आवेदन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगाःबशर्ते कि शुल्क के भुगतान की आवश्यकता वही होगी जो विनियमन 10 के उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट है।

जानकारी देना, स्पष्टीकरण देना आदि।

4. .....

आवेदन पर विचार।

5. बोर्ड प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन से संबंधित सभी मामलों और विशेष रूप से निम्नलिखित, अर्थात् स्टॉक ब्रोकर -

(क) स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए पात्र है; (ख) अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण और मानव शक्ति जैसी आवश्यक अवसंरचना है; (ग) प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन के व्यवसाय में कोई पिछला अनुभव है;

जी.

(घ) स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपने व्यवसाय के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपनियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन है जिसमें वह या तो स्वयं या उसके किसी भी भागीदार, निदेशक या कर्मचारी शामिल हैं;

(ई) एक योग्य और उचित व्यक्ति है।] ए.

एच.

925

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

पंजीकरण की प्रक्रिया।

6. बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि स्टॉक-ब्रोकर पात्र है, स्टॉक-ब्रोकर को 'फॉर्म डी' में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजों को इस आशय की सूचना भेजेगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र को अस्वीकार करने का प्रभाव।

9. एक स्टॉक-ब्रोकर, जिसका प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, विनियमन 8 के उप-विनियमन (2) के तहत संचार की प्राप्ति की तारीख को और उसके बाद से स्टॉक-ब्रोकर के रूप में प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या सौदा नहीं करेगा।

शुल्क का भुगतान और शुल्क का भुगतान करने में विफलता के परिणाम।

10. (1) प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक अनुसूची III में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करेगा।

बशर्ते कि बोर्ड पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर स्टॉक ब्रोकर को उस तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसी फीस का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जिस दिन ऐसी फीस देय हो जाती है।

(2) यदि कोई स्टॉक-ब्रोकर विनियमन 10 में दिए गए शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकता है, जिसके बाद स्टॉक-ब्रोकर स्टॉक-ब्रोकर के रूप में प्रतिभूतियों को खरीदना, बेचना या सौदा करना बंद कर देगा।”

30. यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि फॉर्म 'ए' में निर्धारित पंजीकरण के लिए आवेदन विनियमन के साथ संलग्न है। 3 को बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने के लिए स्टॉक ब्रोकर द्वारा भरा जाना चाहिए।स्टॉक ब्रोकर को जिन विवरणों को इंगित करना होता है, उनके अलावा, उस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए जिसका वह सदस्य है और जिसके माध्यम से पंजीकरण के उद्देश्य से बोर्ड को आवेदन संसाधित/अग्रेषित किया जाता है।अनुपालन के बाद, पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्टॉक ब्रोकर को रेग के साथ संलग्न फॉर्म 'डी' में जारी किया जाता है। 6.

“अनुसूची I

जी.

फॉर्म

फॉर्म ए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम, 1992

एच.

[नियम 3]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र स्टॉक एक्सचेंज का नाम

1. कोड संख्या 2 वाले सदस्य का नाम।सदस्य का पता

3. सदस्य का व्यापारिक नाम

4. संगठन का रूप-एकल स्वामित्व, साझेदारी, निगमित निकाय, वित्तीय संस्थान।कृपया मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम दें।

5. शैक्षिक योग्यताएँ।

6. सदस्यता में प्रवेश की तिथि।

7. क्या वे एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हैं?यदि ऐसा है, तो कृपया कोड संख्या के साथ स्टॉक एक्सचेंज का नाम दें।

8. कार्यालय और निवास के फैक्स, टेलेक्स और फोन नंबर (ओं) का संकेत दें।

9. 21 फरवरी, 1992 के बाद किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में भर्ती सदस्यों के मामले में, प्रवेश के समय स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी की प्रति।

मैं घोषणा करता हूं कि इस रूप में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

..... दिनांकित।

हस्ताक्षर

स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिशें

यह इस एक्सचेंज के एक सदस्य को that.is प्रमाणित करने के लिए है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए अनुशंसित है।

जी.

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम "

एच.

927

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]
ए.

ए.

“फॉर्म डी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर)

विनियम, 1992

[नियम 6]

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ, बोर्ड इसके द्वारा स्टॉक ब्रोकर के रूप में एक्सचेंज (ओं) के किसी सदस्य को प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या लेनदेन की गतिविधियों को जारी रखने और ऐसी अन्य गतिविधियों को करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करता है जो नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन और विनियमों के अनुसार ऐसे स्टॉक एक्सचेंज (ओं) द्वारा अनुमत हैं।

आबंटित पंजीकरण संख्या इस प्रकार हैः

..... यह प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे नियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

तिथि.

आदेश के अनुसार

के लिए और उसकी ओर से

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड "

31. दिए गए समय पर, विनियमन 10 के साथ संलग्न अनुसूची III में स्टॉक ब्रोकर द्वारा पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से भुगतान किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"अनुसूची III

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर)

जी.

विनियम, 1992

[नियम 10]

I. स्टॉक ब्रोकर द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क।

1. प्रत्येक शेयर दलाल इस अनुसूची के पैराग्राफ 2 और 3 के अधीन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नीचे दिए गए तरीके से करेगा:

एच.

(क) जहाँ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वहाँ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पाँच हजार रुपये की राशि;

(ख) जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्टॉक-ब्रोकर का वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये से अधिक है, वहां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पांच हजार रुपये की राशि और एक करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के एक प्रतिशत का सौवां हिस्सा;

[(ख) खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यह स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क की वसूली निम्नानुसार की जाएगीः

(i) नौकरी देने वाले लेन-देन के संबंध में, अर्थात सभी लेन-देन जो एक ही दिन के दौरान किए गए हैं, जो दलाल द्वारा ग्राहकों की ओर से नहीं किए गए हैं, शुल्क की गणना ऐसे लेन-देन के बिक्री पक्ष के संबंध में एक प्रतिशत के दो सौवें हिस्से की दर से की जाएगी।

((ख) सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और इसी तरह से कारोबार करने वाली इकाइयों के संबंध में, देय शुल्क की गणना कारोबार के एक प्रतिशत के एक हजारवें हिस्से की दर से की जाएगी।

(iii) आगे ले जाने, नवीनीकरण या बदला लेनदेन के मामले में शुल्क की गणना कारोबार के एक प्रतिशत के सौवें हिस्से की दर से की जाएगी और रिवर्स ऑफ सेटिंग लेनदेन को कारोबार के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(iv) यदि दलाल स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए बिना प्रतिभूतियों में लेनदेन कर रहे हैं, तो उन लेनदेनों को कारोबार के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा और शुल्क की गणना कारोबार के एक प्रतिशत के सौवें हिस्से की दर से की जाएगी।

(v) अन्य स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए व्यापार को उस एक्सचेंज के कारोबार में शामिल किया जाएगा यदि उस प्रतिभूति के लिए बाजार उस एक्सचेंज पर मौजूद नहीं है जिसका वह सदस्य है और शुल्क की गणना कारोबार के एक प्रतिशत के सौवें हिस्से की दर से की जाएगी।

जी.

(vi) कारोबार की गणना के उद्देश्य से हामीदारी और जमा के संग्रह जैसी गतिविधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;] क

एच.

929

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]
ए.

(ग) स्टॉक-ब्रोकर के रूप में प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद, वह अपना पंजीकरण लागू रखने के लिए प्रारंभिक पंजीकरण देने की तारीख के बाद

छठे वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वित्तीय वर्षों के [प्रत्येक] खंड के लिए पांच हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा।"

[जोर दिया गया]

32. यह विवादित नहीं है कि नियमों और विनियमों को आधिकारिक राजपत्र में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिसूचित किया गया है, जिसका एक संदर्भ ऊपर दिया गया है।अधिनियम 1992 की धारा 12 के तहत निर्दिष्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, एक स्टॉक ब्रोकर के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो वास्तव में नियम 1992 के नियम 2 (ई) के तहत परिभाषित/संहिताबद्ध स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होना चाहिए।स्टॉक ब्रोकर को न केवल नियम 4 के तहत प्रमाण पत्र देने की शर्तों का पालन करना होता है, बल्कि साथ ही, फॉर्म 'ए' में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र में आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना होता है, जिसे उसके द्वारा भरा जाना होता है जैसा कि विनियमन के तहत संदर्भित है। 3.

33. बोर्ड, संतोष दर्ज करने के बाद कि स्टॉक ब्रोकर पात्र है, फॉर्म 'ए' में उसके द्वारा प्रकट की गई शर्तों को पूरा करने पर, विनियमन के साथ संलग्न फॉर्म 'डी' में निर्धारित पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। विनियम 1992 का 6.पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, स्टॉक ब्रोकर को विनियमन के साथ संलग्न अनुसूची III में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। विनियम 1992 का 10.यदि हम अनुसूची III को देखते हैं, तो इसे पूरी तरह से संरचित किया गया है जिसमें स्टॉक ब्रोकर द्वारा जमा किए जाने वाले शुल्क को निर्धारित किया गया है; न केवल प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क बल्कि वह शुल्क भी जो स्टॉक ब्रोकर द्वारा अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भुगतान किया जाना है।

34. विनियमन 10 की अनुसूची III के खंड 1 (1) (सी) में कहा गया है कि 'प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख' से पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद, छठे वित्तीय वर्ष के लिए एक शेयर दलाल को प्रारंभिक पंजीकरण के अनुदान के बाद, पंजीकरण को लागू रखने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।'प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि' के संदर्भ में, जिस पर जोर दिया गया है, यह कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ता है कि यदि केंद्र सरकार/बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों की योजना के संदर्भ में एक से अधिक पंजीकरण की अनुमति है, तो स्टॉक ब्रोकर को विनियमन 3 में संलग्न फॉर्म 'ए' में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा और यदि वह बोर्ड के साथ कई पंजीकरण रखता है।

उसकी टोकरी, स्टॉक एक्सचेंज, जिसका वह सदस्य है, के संदर्भ में प्रारंभिक पंजीकरण से पंजीकरण के प्रमाण पत्र के पांच साल की समाप्ति के बाद, उसे अपने पंजीकरण को लागू रखने के लिए शुल्क का भुगतान/जमा करना होगा।दूसरे शब्दों में, एस. ई. बी. आई. के साथ पंजीकरण का प्रत्येक प्रमाण पत्र स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के साथ सह-समाप्त रहता है जिसमें स्टॉक ब्रोकर एक सदस्य है।

35. मुकदमे के पहले दौर में, शेयर दलालों ने अपने दलाल मंच के माध्यम से बोर्ड के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने वाले उक्त विनियमों की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 10 की वैधता को चुनौती दी। आपत्ति यह थी कि यह कारोबार कर की प्रकृति का है, लेकिन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

36. बी. एस. ई. ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे और अन्य में यह न्यायालय

(उपर्युक्त) पैरा 45 और 47 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः- “45. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दलाल का वार्षिक कारोबार शुल्क का विषय नहीं है, बल्कि यह केवल शुल्क का एक उपाय है।दूसरे शब्दों में, कारोबार पर शुल्क नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि शुल्क उन दलालों पर लगाया जा रहा है जो प्रतिभूति बाजार की गतिविधियों को विनियमित करने और उक्त बाजार में दलालों और अन्य मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए शुल्क के एक उपाय के रूप में अपना वार्षिक कारोबार करते हैं।इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि इस तरह का शुल्क या तो कर होगा या कारोबार पर शुल्क होगा।यह कानून में एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि राज्य के पास शुल्क लगाने का अधिकार है तो उसे शुल्क के माप को चुनने में व्यापक विवेकाधिकार है, बशर्ते कि यह तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरे।कई शुल्कों का एक समान उपाय हो सकता है लेकिन माप में इस तरह की समानता से, शुल्क समान नहीं हो जाते हैं।इसलिए, यदि आक्षेपित शुल्क एक ऐसे उपाय को अपनाता है जो या तो कारोबार कर या आयकर लगाते समय अपनाए गए उपाय के समान है, तो इस तरह के उपाय को

अपनाने से आक्षेपित शुल्क या तो आयकर या कारोबार कर या यहां तक कि आय पर शुल्क या कारोबार पर शुल्क नहीं बन जाएगा।

जी.

47. इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि विवादित शुल्क केवल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह दलालों के कारोबार के आधार पर लगाया जाता है जो या तो कारोबार कर या आय पर कर के बराबर होगा।जबकि हम दलाल ए के वार्षिक कारोबार के आधार पर शुल्क स्वीकार करते हैं।

एच.

931

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]
ए.

हमें ध्यान देना होगा कि बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वार्षिक कारोबार की परिभाषा में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए और साथ ही कुछ विशिष्ट लेनदेनों से संबंधित शुल्क की मात्रा में भी बदलाव किए जाने चाहिए जिन्हें कारोबार का हिस्सा माना जाता है।इसने सिफारिश की है कि नौकरी लेनदेन के लिए शुल्क का पैमाना घटाकर एक प्रतिशत का दो सौवां हिस्सा किया जा सकता है, और आगे ले जाने, नवीनीकरण या बदला लेनदेन के संबंध में, एक्सचेंज द्वारा की गई ऑफ-सेटिंग प्रविष्टियों को कारोबार के हिस्से के रूप में नहीं गिना जा सकता है, और आगे सरकारी प्रतिभूतियों, पीएसयू बांड और इकाइयों पर, कारोबार की अलग से गणना की जानी चाहिए और एक प्रतिशत के एक हजारवें हिस्से का शुल्क ऐसे कारोबार पर एक प्रतिशत के एक सौवें हिस्से के वर्तमान पैमाने की तुलना में लिया जा सकता है।इसने यह भी सिफारिश की है कि दलालों के कारोबार की गणना के उद्देश्य से हामीदारी और जमा के संग्रह जैसी गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।वास्तव में समिति की इन सिफारिशों को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज तक बोर्ड द्वारा अपने विनियमों में आवश्यक बदलाव नहीं किए गए हैं। नतीजतन, विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सीमा तक, हमारी राय है कि बोर्ड संबंधित परिवर्तन लाने के लिए बाध्य है ताकि समिति द्वारा बताई गई विसंगतियों को दूर किया जा सके।यह प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता को बताया गया था जब यह प्रस्तुत किया गया था कि बोर्ड ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और प्रस्तावित परिवर्तन इस याचिका के लंबित होने के कारण नहीं लाए गए थे और भट्ट समिति की सिफारिशों को

शामिल करने के लिए आवश्यक परिवर्तन इन याचिकाओं के निपटारे के बाद किए जाएंगे।हम बोर्ड की ओर से इस निवेदन को दर्ज करते हैं और निर्देश देते हैं कि भट्ट समिति द्वारा अनुशंसित उक्त परिवर्तनों को विनियमों में शामिल किया जाएगा।उपरोक्त के अधीन, हमारा विचार है कि कारोबार के माप के आधार पर लेवी को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

जी.

37. इस न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर में उस तंत्र को मंजूरी दी है जिसका पालन बोर्ड द्वारा "वार्षिक कारोबार" के आधार पर अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में शुल्क लेने में किया जा रहा था।

38. आर. एस. भट्ट समिति द्वारा इंगित विसंगतियों को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय का विचार था कि बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि

एच.

संबंधित परिवर्तन ताकि समिति द्वारा इंगित उन विसंगतियों को दूर किया जा सके और कारोबार के आधार पर शुल्क के संबंध में शर्तों/सिफारिशों को शामिल करने का निर्देश दिया जा सके।39. बी. एस. ई. ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे एंड अदर्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी ने 28 मार्च, 2002 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें वह प्रक्रिया प्रदान की गई है जिसके अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संरचना निर्धारित की गई है, जिसमें 'वार्षिक कारोबार' के आधार पर स्टॉक ब्रोकर द्वारा जमा किए जाने वाले शुल्क का प्रावधान किया गया है।

40. प्रत्यर्थीगणओं की शिकायत 28 मार्च, 2002 के परिपत्र के भाग ए के पैराग्राफ (vi) के संदर्भ में थी, जिसमें समग्र निगमित सदस्यों द्वारा देय शुल्क निर्धारित किया गया था।यह

केवल यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के तहत स्टॉक ब्रोकर द्वारा रखे गए पंजीकरण कार्ड की संख्या की परवाह किए बिना SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, उसे पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा जो उसके पास है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिकायत का प्राथमिक कारण है, जिस पर प्रत्यर्थीगण द्वारा संघ के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके और विनियमों की योजना और उस परिपत्र की जांच करने के बाद हमला किया गया था, जिसका संदर्भ 28 मार्च, 2002 को दिया गया है और इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देते हुए, प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए तर्कों को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 28 मार्च, 2002 के परिपत्र को बरकरार रखा।

41. उच्च न्यायालय की खंड पीठ को मुख्य रूप से अधिनियम, 1992 की धारा 12 (1) के तहत संदर्भित 'एक प्रमाण पत्र' अभिव्यक्ति के साथ राजी किया गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 'एक प्रमाण पत्र' अभिव्यक्ति पंजीकरण के एकल प्रमाण पत्र को दर्शाती है, इस तथ्य के बावजूद कि एक स्टॉक ब्रोकर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य है और नियम/विनियम जो केंद्र सरकार या बोर्ड द्वारा अधिनियम, 1992 की धारा 29 और 30 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए जा रहे हैं, उन्हें अधिनियम, 1992 के जनादेश के अनुरूप होना चाहिए और जो अधीनस्थ कानून पर प्रबल होगा।उक्त आधार पर कार्यवाही करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक स्टॉक ब्रोकर के लिए केवल SEBI के साथ प्रारंभिक पंजीकरण की आवश्यकता है, भले ही वह कई स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य हो और तदनुसार अपीलार्थी को उस शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया जो प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर द्वारा कई पंजीकरणों के लिए जमा किया गया था।

जी.

एच.

933

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]

ए.

ए.

42. उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, अधिनियम, 1992 की धारा 12 (1) के तहत निर्दिष्ट 'पंजीकरण का प्रमाण पत्र' अभिव्यक्ति से प्रभावित प्रतीत होता है, लेकिन यह ध्यान देने में

विफल रहा है कि 'एक प्रमाण पत्र' अभिव्यक्ति किसी भी संख्या के संदर्भ में नहीं है और यह माना जा सकता है कि एकवचन में शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा, और यह ध्यान देने में विफल रहा है कि अधिनियम 1992 की धारा 30 के तहत शक्ति के प्रयोग में बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है।इस संदर्भ में, अधिनियम, 1992 की धारा 30 के तहत बोर्ड द्वारा बनाई गई धारा 29 और विनियमों के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नियमों की योजना पूरी तरह से गलत है, जो वास्तव में एक वैधानिक बल है।यद्यपि यह योजना अधीनस्थ विधान की प्रकृति में हो सकती है, लेकिन इसमें बेहतर बल होता है और यह एक तंत्र/प्रक्रिया का पूरक होता है जिसके अनुसार स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य (स्टॉक ब्रोकर) को बोर्ड से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है और SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ सह-समाप्त रहता है जिसमें स्टॉक ब्रोकर सदस्य है और यह कारण है, विनियमन। अनुसूची III के साथ पठित 10 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके अनुसार स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने और इसके पंजीकरण को लागू रखने के लिए बाद के चरण में इसके नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान/जमा किया जाना है।43. जब किसी मामले में कानून को लागू करना होता है, तो तथ्यों का पता लगाना और फिर ऐसे तथ्यों पर लागू करने के लिए कानून की व्याख्या करना न्यायालय का काम होता है।व्याख्या, वास्तव में, शून्य में या काल्पनिक तथ्यों के संबंध में नहीं हो सकती है।यह कहना हमेशा विधायिका का कार्य है कि कानून क्या होगा और यह कहना केवल न्यायालय का काम है कि कानून क्या है और इस न्यायालय ने ऐसे तथ्यों पर लागू करने के लिए कानून की व्याख्या करते समय उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू किया।एक क़ानून का अर्थ उस इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए जो इसे बनाता है और यह हमेशा न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधायिका के सच्चे इरादे पर कार्य करे।यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है, तो न्यायालय के लिए यह हमेशा वांछनीय है कि वह व्याख्या का चयन करे जो विधायिका के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून के इरादे पर पहुंचने के लिए, यह हमेशा उन उद्देश्यों पर निर्भर करता है जिनके लिए अधिनियम बनाया जाता है, न्यायालय पाठ्य व्याख्या को अलग रखते हुए ऐतिहासिक, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा ले सकता है।इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय को हमेशा उस उद्देश्य या उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए क़ानून लागू किया गया है।

जी.

44. बराक "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" पर अपने विस्तृत कार्य में "उद्देश्य" शब्द के विभिन्न अर्थों की व्याख्या करते हैं।बराक के शब्दों में "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" का उल्लेख करना चर्चा की योग्यता में होगाः

“हार्ट और सैक्स भी 'उद्देश्य' को एक व्यक्तिपरक अवधारणा के रूप में मानते हैं।मैं कहता हूं 'प्रकट' क्योंकि, हालांकि हार्ट और सैक्स का दावा है कि दुभाषिया को खुद को विधायक के जूते में कल्पना करनी चाहिए, वे वस्तुनिष्ठता के दो तत्वों का परिचय देते हैंःपहला, दुभाषिया को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका उचित तरीके से उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के इच्छुक उचित लोगों से बनी है और दूसरा, दुभाषिया को इस गैर-प्रत्याख्यान योग्य धारणा को स्वीकार करना चाहिए कि विधायी निकाय के सदस्य अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सद्भावना से पूरा करना चाहते हैं।यह सूत्रीकरण दुभाषिया को लेखक के व्यक्तिपरक इरादे के बारे में पूछताछ करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि लेखक के इरादे के बारे में पूछताछ करने की अनुमति देता है, अगर उसने उचित रूप से काम किया होता।”

(अहरोन बराक, कानून में सकारात्मक व्याख्या, (2007) पी।

87.)

45. फ्रांसिस बेनिओन ने अपनी पुस्तक सांविधिक व्याख्या में

"उद्देश्यपूर्ण व्याख्या" को निम्नानुसार वर्णित किया गया हैः“एक अधिनियम का एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण वह है जो विधायी उद्देश्य को प्रभावी बनाता है -

(क) अधिनियम के शाब्दिक अर्थ का पालन करते हुए जहां वह अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार है, या

(बी) एक तनावपूर्ण अर्थ को लागू करना जहां शाब्दिक अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार नहीं है।”

46. आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल. वी. ए.

दीक्षितुलु और अन्य **3,** इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

“66. व्याख्या का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि एक संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान का अर्थ 'उनके इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया' (कोक)।आम तौर पर, इस तरह का इरादा प्रावधान की भाषा से एकत्र किया जाता है।अगर भाषा या

जी.

3 (1979) 2 एससीसी 34 ए

एच.

935

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

विधान द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश विज्ञान सटीक और स्पष्ट है और इस प्रकार अपने आप में विधायी इरादे को स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है, इसके बाद आने वाले परिणामों की परवाह किए बिना इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए।लेकिन यदि प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द अस्पष्ट, मौलिक या प्रेरक हैं या यथोचित रूप से एक से अधिक अर्थ रख सकते हैं, तो सख्त व्याकरणिक निर्माण का नियम वास्तविक विधायी इरादे तक पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्गदर्शक नहीं है।ऐसे मामले में, नियोजित नियमों और वाक्यांशों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए, अदालत के लिए यह वैध है कि वह प्रावधान की शुष्क शाब्दिक सीमाओं से परे जाए और निर्माण के अन्य अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियमों की सहायता के लिए कॉल करे, जैसे कि इसका विधायी इतिहास, समग्र रूप से क़ानून की मूल योजना और ढांचा, प्रत्येक भाग बाकी पर प्रकाश डालता है, विधान का उद्देश्य, प्राप्त करने की इच्छा, और परिणाम जो अन्य संभावित व्याख्या की वरीयता में एक को अपनाने से उत्पन्न हो सकते हैं।”

47. इस प्रकार, हमारे सुविचारित विचार में, नियम, 1992 और विनियम, 1992 की योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 (1) में निर्दिष्ट "एक प्रमाण पत्र" अभिव्यक्ति के संयुक्त पठन से एक अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि स्टॉक ब्रोकर को न केवल प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए जहां वह काम करता है, उसके लिए SEBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है, साथ ही, 28 मार्च, 2002 के परिपत्र के तहत निर्धारित गणना के

संदर्भ में SEBI से पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र के संदर्भ में विनियम, 1992 के भाग III के संदर्भ में निर्धारित विज्ञापन मूल्य शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और शुल्क का भुगतान स्टॉक ब्रोकर द्वारा एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में किया जाना है जो विनियम, 1992 की योजना के अनुरूप है।

48. जहाँ तक अनुसूची III (I) (1) (c) में निर्दिष्ट 'प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख' अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है, यह उस पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में है जो स्टॉक ब्रोकर द्वारा SEBI से प्राप्त किया गया है, जो बदले में उस स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में है जिसका वह सदस्य है।प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद, स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में, उसके पंजीकरण को लागू रखने के लिए छठे वित्तीय वर्ष के उद्देश्य के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है।

जी.

49. जहां तक विनियम, 1992 के विनियम 10 में संलग्न अनुसूची III के तहत निर्धारित शुल्क लेने की प्रक्रिया का संबंध है,

एच.

संबंधित, इस न्यायालय द्वारा बी. एस. ई. में पहले ही इसकी जांच की जा चुकी है।

ब्रोकर्स फोरम, बॉम्बे और अन्य (ऊपर) और आगे कोई आवश्यकता नहीं है

इस न्यायालय का विचार-विमर्श।50. दलीलों के दौरान, और अपने स्वयं के स्पष्टीकरण के लिए, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता से एक प्रश्न पूछते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में एक स्टॉक ब्रोकर को पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप, क्या इस अयोग्यता से अन्य स्टॉक एक्सचेंजों में स्टॉक ब्रोकर को दिए गए पंजीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पंजीकरण का प्रमाण पत्र विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता के आधार पर दिया गया था, अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता के आधार पर दिया गया था, और आवेदक को उनके अपने उप-कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य के रूप में भर्ती किया जाना था।हालांकि, जिस मामले में स्टॉक

ब्रोकर को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है या किसी स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में स्टॉक ब्रोकर के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, उस मामले में, दिनांक 17 मार्च, 2010 के एस. ई. बी. आई. परिपत्र एस. ई. बी. आई./एम. आई. आर. एस. डी./मास्टर सिर-<आई. डी. 1 के संदर्भ में, यह अधिसूचित किया गया है कि ऐसा स्टॉक एक्सचेंज तुरंत अन्य सभी स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को डिफॉल्टर सदस्य के विवरण जैसे कि सदस्य का नाम, मालिकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/प्रमुख शेयरधारकों के नाम, जो लागू हो, सूचित करेगा।यह एक ऐसा तंत्र हो सकता है जिसके अनुसार यदि स्टॉक ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, चूक करता है, या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य होने पर, उसके खिलाफ उस परिपत्र के अनुसार परिणामी कार्रवाई की जा सकती है जिसके लिए एक संदर्भ दिया गया है। हालाँकि, यह तत्काल कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा जांचा जाने वाला प्रश्न नहीं है।

51. नतीजतन, अपील सफल होने की हकदार है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।52. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

2007 का नागरिक आवेदन **NO.5076 2011** का नागरिक आवेदन **NO.3003**

जी.

53. 2007 के सिविल अपील No.435 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को देखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है और निर्णय और आदेश ए

एच.

937

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक सदस्य विनिमय संघ [अजय रस्तोगी, जे.]

विवादित उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किए जाने को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

54. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

जी.

एच.